



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ 1933 (श0)
(सं0 पटना 304) पटना, बुधवार, 29 जून 2011

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

27 जून 2011

सं0 7 न0वि0-विविध-01/08-3610/न0वि0एवं.आ0वि0

बिहार सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2011

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ ।— (i) यह नियमावली बिहार सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 1974 के नियम 3 (ii) में संशोधन।— उक्त नियमावली के नियम 3 (ii) में शब्द "कार्यपालक अभियंता" के बाद शब्द "लोक निर्माण विभाग (भवन)" शब्द "भवन निर्माण विभाग", "अग्निशमन कार्यालय का कोई उपयुक्त व्यक्ति" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. बिहार सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 1974 के नियम 5 का संशोधन।—उक्त नियमावली के नियम 5 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:—"5. प्रस्तावित सिनेमा भवनों के भवन परियोजनाओं का तकनीकी अनुमोदन भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के द्वारा इच्छुक अनुज्ञप्ति धारक के द्वारा समर्पित किये जाने के दो महीने के भीतर किया जायेगा। अनुमोदन में भवन उपविधि के सुसंगत प्रावधानों का सर्वथा अनुपालन किया जायेगा।"

4. बिहार सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 1974 के नियम 6 (i) में संशोधन।—उक्त नियमावली के नियम 6 (i) में शब्द "आवेदित सिनेमा भवन" के बाद प्रयुक्त शब्द "राज्य सरकार की अनुमति से" और शब्द "अनुज्ञप्ति प्राधिकारी" के बाद प्रयुक्त शब्द "अथवा राज्य सरकार" विलोपित किये जायेंगे।

5. बिहार सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 1974 के नियम 7 में संशोधन।—उक्त नियमावली के नियम 7 में "राज्य सरकार की अनुमति से" शब्दों को विलोपित किया जायेगा और "अनुमति दी गई" शब्दों के बाद निम्नलिखित पंक्ति जोड़ी जायगी :-

“किसी भी दशा में स्थायी सिनेमा भवन के निर्माण की अनुमति मिलने के बाद कुल अवधि सिवाय राज्य सरकार की अनुमति के बिना, तीन वर्षों से अधिक नहीं बढ़ेगी।”

6. बिहार सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 1974 के नियम 8 में संशोधन :-(1) उक्त नियमावली के नियम 8 (i) में “अनुज्ञप्ति प्राधिकारी” के बाद “राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यक्षीन” शब्दों को विलोपित किया जायेगा।

(2) उक्त नियम का तीसरा परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“परन्तु यह और कि ऐसी सभी स्थायी अनुज्ञप्ति सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा नवीकृत किया जा सकेगा। प्राप्त प्रस्ताव आवेदन की प्राप्ति एवं आवेदक को प्राप्ति रसीद दिये जाने से एक माह के भीतर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा और अगले एक माह के भीतर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा तर्कसंगत आदेश पारित किया जायेगा, जिसमें विफल होने पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण अनुमोदित किया गया समझा जायेगा।”

(3) नियम 8 (i) में निम्नलिखित चौथा परन्तुक जोड़े जायेगे :-

“परन्तु यह और कि ऐसे अवधि विस्तार के आवेदन के साथ यह निर्देशित करता हुआ सम्यक् रूप से लिया हुआ शपथ पत्र संलग्न रहेगा कि अनुज्ञप्ति धारक द्वारा इस नियमावली के किसी प्रावधान और सरकार के किसी निर्देश का उल्लंघन नहीं किया गया है।”

(4) नियम एक नया उप-नियम (ii) जोड़े जायेगे- किसी भी मामले में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी तीन माह से अनाधिक समय के भीतर अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा या तर्कसंगत आदेश के साथ अनुज्ञप्ति नामंजूर करेगा। यदि तीन माह के अवधि में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो अनुज्ञप्ति सर्वथा प्रदत्त समझी जाएगी।

7. बिहार सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 1974 के नियम 10 में संशोधन।—उक्त नियमावली के नियम 10 के अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जायेगा :-

“परन्तु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर समुचित अधिसूचना निर्गत कर उक्त फीस संरचना की समीक्षा और संशोधन किया जा सकेगा।”

8. बिहार सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 1974 के नियम 12 (i) (क) एवं (i) (ख) में संशोधन :-

(1) उक्त नियमावली के नियम 12 (i) (क) की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द “अथवा राज्य सरकार के निर्देश पर” विलोपित किया जाएगा।

(2) उक्त नियमावली के नियम 12 (i) (क) की अंतिम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द “फिल्म डिविजन प्रमाण-पत्र” विलोपित किये जायगे।

(3) उक्त नियमावली के नियम 12 (i) (ख) की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द “सिनेमा निरीक्षक” शब्द “जिला पदाधिकारी द्वारा पदनामित पदाधिकारी” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और शब्द “सुपुर्द करना” के बाद शब्द “उनके” शब्द “उसका” द्वारा प्रतिस्थापित किये जायगे।

9. बिहार सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 1974 के नियम 13 (क) एवं 13 (ख) में संशोधन :-(1) उक्त नियमावली के नियम 13 (क) में “राज्य सरकार के अनुमोदन से” शब्दों को विलोपित किया जायेगा तथा शब्द “फिल्म के -में” के बाद शब्द “स्थाई” विलोपित किया जायगा।

(2) उक्त नियमावली के नियम 13 (ख) में “राज्य सरकार के अनुमोदन से” शब्दों को विलोपित किया जायगा।

(3) उक्त नियमावली के नियम 13 (ख) में के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ें जायेंगे :-

“परन्तु अवधि विस्तार के लिए आवेदन एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के भीतर दिया जायेगा”

(4) एक नया उप-नियम 13 (ख ख) निम्नवत् जोड़ा जायेगा:-

“(ख ख) अगर अनुज्ञप्ति विस्तार हेतु कोई आवेदन प्राप्त होता है और आवेदक को उचित प्राप्ति रसीद दिये जाने पर आवेदन प्राप्ति के दस (10) दिनों के भीतर इसे अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, यथा स्थिति अस्थायी अनुज्ञप्ति का विस्तार करेगा अथवा एक तर्कसंगत आदेश के द्वारा अगले पन्द्रह (15) दिनों के भीतर नामंजूर कर देगा और यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उस अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल होते हैं तो उसका अवधि विस्तार माना जायेगा।”

“परन्तु और कि ऐसे अवधि विस्तार के आवेदन के साथ यह इंगित करते हुए सम्यक् रूप से शपथ लिया गया शपथ पत्र संलग्न रहेगा कि अनुज्ञप्ति धारक द्वारा इस नियमावली के किसी प्रावधान और सरकार के निर्देश का उल्लंघन नहीं किया गया है।”

10. बिहार सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 1974 के नियम 14 में संशोधन।—(1) उक्त नियमावली के नियम 14 (क) के परन्तुक में शब्द “3 महीने” शब्द “6 महीने” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) नियम 14 में निम्नलिखित दूसरा परंतुक जोड़ा जायेगा :-

“परन्तु आगे यह कि प्रदर्शित होने वाला चलचित्र 35मी0मी0 के सिनेमैटोग्राफ फिल्म होना चाहिये।”
बिहार—राज्यपाल के आदेश से
अरविन्द कुमार सिंह,
सरकार के उप—सचिव—सह—निदेशक।

27 जून 2011

सं० 7 न०वि०—विविध—01/08—3610/न०वि०एवं.आ०वि०, दिनांक 27 जून 2011 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से
अरविन्द कुमार सिंह,
सरकार के उप—सचिव—सह—निदेशक।

The 27th June 2011

No 7 N.V/Vividi-01/08-3610-UD&HD

BIHAR CINEMA (REGULATION) (AMENDMENT) RULES, 2011

1. *Short name, extend and Commencement.*— (i) These Rules may be called the Bihar Cinema (Regulation) (Amendment) Rules, 2011.

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(iii) It shall come into force at once.

2. *Amendment in Rule-3(ii) of Bihar Cinema (Regulation) Rules, 1974*— In the rule 3(ii) of the said Rules, after the word "Executive Engineer" the words "Public Works Department (Building)", shall be substituted by the words "Building Construction Department, suitable Person from Fire Brigade Office".

3. *Amendment in Rule-5 of Bihar Cinema (Regulation) Rules, 1974*— In the said Rules, Rule-5 shall be substituted by the following:-

"The Building plans of the proposed Cinema houses shall be approved technically by the Executive Engineer, Building Construction Department within two months from the date of its submission by the intending Cinema licencees. While approving the provisions of relevant Building-by-Laws should be strictly adhered to."

4. *Amendment in Rule-6 (i) of Bihar Cinema (Regulation) Rules, 1974*— In the Rule-6 (i) of the said Rules, the following words after "Cinema building applied for" shall be deleted- "With the permission of the State Government" and after the words the "licensing authority" the words- "or the State Government " shall be deleted.

5. *Amendment in Rule-7 of Bihar Cinema (Regulation) Rules, 1974*— In Rule-7 of the said Rules, the words "With the permission of the State Government" shall be deleted and the following lines shall be added after the words "Permission was granted":-

"In any case total period, after the permission of the construction of permanent Cinema buildings, will not exceed three years without the permission of the State Government."

6. *Amendment in Rule- 8 of Bihar Cinema (Regulation) Rules, 1974—* (1) In the Rule-8 (i), of the said Rules, the words "Subject to the approval of the State Government" after the words "the licensing authority may" shall be deleted.

(2) The third proviso of the above said rule will be substituted by following:-

"Provided further that all such permanent licence shall be renewed by the licensing authority without obtaining approval of the State Government. The proposal received shall be put up before the licensing authority within one month from the date of receipt of application the receipt of which shall be given to applicant and the licensing authority shall pass reasoned order within next one month failing which the renewal of the licence shall be deemed as having been approved".

(3) *The following fourth proviso shall be added to Rule 8 (i) :-*

"Provided further that the application for such extension should also include an affidavit duly sworn in indicating that the licensee has not violated any of the provisions of these Rules and direction of the Government."

(4) *A new sub-rule (ii) shall be added.—*

"(ii) In any case the licensing authority shall grant the licence within a period not exceeding three months or refuse the licence with a reasoned order. If no communication is received from the licensing authority within the prescribed period of three months, the licence would be deemed to be automatically granted."

7. *Amendment in Rule-10 of Bihar Cinema (Regulation) Rules, 1974—* In the said Rules in Rule-10, the following proviso shall be added at the end:-

"Provided that the aforesaid fee structure can be reviewed and amended by the State Government from time to time by issuing suitable notification."

8. *Amendment in Rule-12(i)(a) & 12(i)(b) of Bihar Cinema (Regulation) Rules, 1974.—*

(1) In the first line of Rule-12(i)(a) of the said Rules, the words " or on the directions of the state Government" shall be deleted.

(2) In the last line Rule-12(i)(a) of the said Rules the word "Film Division Certificate" shall be deleted.

(3) In the first line Rule-12(i)(b) of the said Rules, the word "Cinema Inspector" shall be substituted by the word "officer designated by District Magistrate" and the word after the word "submit", "their" shall be substituted by the word "his".

9. *Amendment in Rule-13 (a) and 13(b) of Bihar Cinema (Regulation) Rules, 1974—*(1) In the said Rules in Rule 13(a) the words "with the approval of the State Government" shall be deleted and the word "permanent" after the word "of film in a" shall be deleted.

(2) In the said Rules in Rule 13(b) the words "with the approval of the State Government" shall be deleted.

(3) The following provisos shall be added to Rule 13(b) of the said Rules:-

"Provided that the application for extension should be submitted within the expiry of period of one year".

(4) A new sub-rule 13 (bb) shall be added as following:-

"(bb) If the application for extension of licence is received, a proper receipt will be given to applicant and it shall be put up before the licensing authority within ten (10) days from the date of receipt of the application. The licensing authority shall extend the temporary licence, or refuse the same with a reasoned order within next fifteen (15) days, and if the licensing authority fails to do so within such period, the same shall be treated as extended."

Provided that the application for such extension shall accompanied with an affidavit duly sworn indicating that the licensee has not violated any of the provisions of these rules and direction of the Government".

10. *Amendment in Rule-14 of Bihar Cinema (Regulation) Rules, 1974* —(1) In sub-clause (a) of the first proviso of Rule-14 the word "three months" shall be substituted by the words, "six months".

(2) The following second proviso shall be added to Rule-14.

"Provided further that the film to be exhibited should be a cinematograph film of 35mm.

2. This notification shall come to force at once.

By the order of the Governor of Bihar,
ARVIND KUMAR SINGH,
Deputy Secretary- Cum- Director.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 304-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>